



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 880 वर्ष 2026

मिठाई लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप निदेश चकबन्दी एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : मानिक चन्द्र यादव

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 54

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री माणिक चंद्र यादव, श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है:

(ए) सर्टियोरारी की प्रकृति का आदेश/निर्देश जारी कर आक्षेपित आदेश दिनांक 11.11.2025 (परिशिष्ट सं.-1), जो कि उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ द्वारा पुनरीक्षण सं.-131/2022, 20225415600000131, मिठाई लाल बनाम बसदेव एवं अन्य, 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(1) के अंतर्गत पारित किया गया है, तथा आदेश दिनांक 13.07.2022 (परिशिष्ट सं.-2), जो कि चकबंदी अधिकारी, फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वाद सं.-262, धारा 42, 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के अंतर्गत, ग्राम- हाफिजपुर, परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़ से संबंधित प्रकरण में पारित किया गया है, को निरस्त किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(बी) परमादेश की प्रकृति का आदेश/निर्देश जारी कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे गाटा सं.-76 से 0.700 कड़ी अतिरिक्त भूमि को विलोपित कर उसे ग्राम सभा हाफिजपुर की बचत भूमि के रूप में दर्ज करें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अवैध और मनमाने तरीके से पारित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस क्षेत्र को निपटान में प्रवेश किया गया है, उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर उचित तरीके से निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता के दावे की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चकबंदी अधिकारी और चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 42 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा अन्य लोगों के साथ दायर आवेदन को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करते समय निष्कर्ष दर्ज किया गया है। उन्होंने आक्षेपित आदेश पारित करते समय चकबंदी अधिकारी के साथ-साथ चकबंदी के उप निदेशक द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को रखा। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आगे के आवेदन को रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्थी को परेशान करने और अदालत में कार्यवाही पर रुकने के लिए याचिकाकर्ता ने चकबंदी अधिकारियों के समक्ष गलत कार्यवाही शुरू की है, इस तरह, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि श्री राम और याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों द्वारा दायर दिनांक 9.1.2008 के आवेदन को चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 13.7.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि 13.7.2022 के चकबंदी अधिकारी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को दिनांक 11.11.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

7. इस प्रकरण में शामिल विवाद को समझने के लिए, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रासंगिक हिस्से का अवलोकन आवश्यक होगा, जो निम्नानुसार है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय चकबन्दी अधिकारी फूलपुर, आजमगढ़ ।

श्रीराम आदि बनाम सरकार।

वाद संख्या 262/2022 धारा 42क उ०प्र०जोत चकबन्दी अधिनियम।

ग्राम-हाफिजपुर, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़।

निर्णय

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। ग्राम हाफिजपुर में चक संख्या 392 बासदेव, जयसिंह पुत्रगण फूलचन्द निंग्राम के नाम अभिलेखों में दर्ज है। सहायक चकबन्दी अधिकारी वाद संख्या 15052 आदि अन्तर्गत धारा 9 क आदेश दिनांक 11.10.1987 द्वारा गाटा संख्या 76/2.400 के स्थान पर मुताविक मौका गाटा संख्या 76/2.680 दर्ज होने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार चकबन्दी अधिकारी सदर आजमगढ़ वाद संख्या 202 अन्तर्गत धारा 42क ता० फे० 28.12.2007 द्वारा मुताविक संशोधन तालिका चक संशोधित किया गया है। उक्त आदेशों के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई अपील या पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आदेशों के कायम रहते हुए धारा 42क के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना विधि संगत नहीं है। धारा 42क के अन्तर्गत गणना एवं लिपिकीय त्रुटि की ही दुरुस्ती करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण में सहायक चकबन्दी अधिकारी वाद संख्या 15052 आदि अन्तर्गत धारा 9क आदेश दिनांक 11.10.1987 व चकबन्दी अधिकारी सदर अन्तर्गत धारा 42 वाद संख्या 202 ता० फे० 28.12.2007 के विरुद्ध अवर न्यायालय में वाद दायर कर आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 42क अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन तैयार किये गए किसी अभिलेख में लिपिक या गणना सम्बन्धी भूल को शुद्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 41 के माध्यम से भू-राजस्व अधिनियम 1901 के अध्याय 9 तथा 10 के उपबन्ध प्रभावी किये गए हैं। भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 201 के अन्तर्गत एकपक्षीय आदेशों के विरुद्ध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का प्राविधान किया गया है, जबकि धारा 202 के अन्तर्गत आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में हुई भूल या चूक को सुधार करने का प्राविधान दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर उक्त आपत्ति खारिज होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार श्रीराम आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.01.2008 निरस्त किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

चकबन्दी अधिकारी

फूलपुर, आजमगढ़।

8. जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि श्री राम और याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों द्वारा दायर दिनांक 9.1.2008 के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि चकबन्दी के उप निदेशक ने चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश और चकबन्दी के उप निदेशक के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. रिट याचिका **तदनुसार खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

26 मार्च, 2026

रमीज